

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72 / 2016

अन्तर्गत धारा 212 रां0का0अधिनियम 1955

राज कुमार

बनाम

बाल मुकन्द

निमित्त:-

बाल मुकन्द शर्मा पुत्र श्री कुज बिहारी जी तथाकथित पुजारी महन्त जाति ब्राह्मण उम्र 65 साल निवासी पुराना मन्दिर मैयो.लिक रोड अजमेर

अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 05.07.2016

वादी/प्रार्थी के द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि ग्राम घूघरा स्थिति आराजियात वर्किंग खाता संख्या 405 खसरा संख्या 1264 रकबा 02-11-00, 1265 रकबा 00-12-00, खाता संख्या 406 खसरा संख्या 1266 रकबा 02-19-00, 1269 रकबा 00-16-00, 1289 रकबा 01-08-00, 1290 रकबा 00-06-00, 1291 रकबा 00-10-00, 2793 रकबा 00-06-00, खाता संख्या 407 के खसरा संख्या 1292 रकबा 02-10-00, 1293 रकबा 01-11-00, 1294 रकबा 04-06-00, 1295 रकबा 00-13-00, 1296 रकबा 02-12-00, 1298 रकबा 02-14-00, 1299 रकबा 00-07-00, 1300 रकबा 01-13-00, 1301 रकबा 02-13-00, 1302 रकबा 01-15-00, 1303 रकबा 05-14-00, 1304 रकबा 02-16-00, 1305 रकबा 04-01-00, 1306 रकबा 05-18-00, 1307 रकबा 01-09-00, 1308 रकबा 00-03-00, 1309 रकबा 00-14-00, 1310 रकबा 02-04-00, 1311मिन रकबा 00-04-00, 1312मिन रकबा 00-17-00, 1313 रकबा 02-03-00, 1314 रकबा 02-19-00, 1315 रकबा 02-13-00 तथा खाता संख्या 286 के खसरा संख्या 2788 रकबा 02-02-00, 2789 रकबा 00-03-00, 2790 रकबा 00-04-00, 2791 रकबा 00-10-00, 2792 रकबा 01-15-00, 2794 रकबा 01-12-00, 2795 रकबा 00-14-00, 2796 रकबा 00-16-00, 2797 रकबा 00-12-00, 2798 रकबा 01-12-00, 2799 रकबा 00-14-00, 2800 रकबा 00-09-00, 2801 रकबा 00-18-00 जरिये आदेश उपखण्ड अधिकारी अजमेर, दिनांक 24.09.2008 के तहत मन्दिर श्री चतुर्भुज जी समस्त कायस्थान दर्ज करने के आदेश हुए एवं वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। लेकिन अप्रार्थी विवादित भूमि पर सास्वत अवयस्क मन्दिर मूर्ति के कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं जबरन अतिक्रमण करने पर सख्त आमादा है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी को एक पक्षीय सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विवादित आराजी प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी मन्दिर श्री चार भूजा जी समस्त कायस्थान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अप्रार्थी मन्दिर भूमि को जबरन अतिक्रमण कर खुर्द बुर्द करने पर सख्त आमादा है अतः अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 18.08.2016 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी मन्दिर भूमि पर मन्दिर के कब्जे काश्त में दखल, उपयोग उपभोग में मदाखलत एवं जबरन अतिक्रमण करने से आगामी दिनांक तक बाज रहे। इसमें कोई उज्र हो तो नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी को नाटिस व तहरीर जारी हो। मिसल नियत दिनांक को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0)

19/8/16

अजमेर।

आज PO सा के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे/अवकाश/रथोगत कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उमके रामभा दिनांक 22/9/16 को पेश हो।



22/9/16

से

का

के

18/8/16

प्रमाणित प्रतिलिपि

पत्रावली पेश हुई जायी अर्थात् न. 1 के अन्तर्
उपर जवाब देते समय यहाँ मिसल दिनांक 21/11/16
को ध्यान देना।

सहायक कलेक्टर
कार्यालय मजि. (मु.)
अजमेर

दिनांक 7/11/16 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष,
आज समय चाहते हैं। मिसल दिनांक 21/11/16
को बास्ते पूर्ण पेश हो।

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

28.11.2016

पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक
आज जवाब हेतु समय चाहते हैं। आगामी पेशी पर जवाब पेश हो। मिसल दिनांक 21.12.2016 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर (मु)
अजमेर

21/12/16

मिसल दिनांक 21/12/16 को जवाब पेश करने में व्यस्त/राजकाय
से ही जवाब पत्रावली पूर्ववत्
कार्यपालक मजि. (मु.)
को पेश किया।

28/12/17

कार्यालय सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

U/T for
default
28/12/17
Ajmer

28/12/17

पत्रावली पेश हुई अर्थात् न. 1 के अन्तर्
उपर जवाब देते समय यहाँ मिसल दिनांक 21/11/16
को ध्यान देना।



(श्वेता यादव)
सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजि. (मु.)
अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
अधीक्षक
कार्यालय अपर कलेक्टर
(राहर) अजमेर